UPLK010086172022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ।

सत्र वाद सं0–1017/2022

सोनी देवी बनाम महेन्द्र कुमार मौर्या आदि

05–01–2026

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई।

पूर्व तिथि पर विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर सुना जा चुका है।

मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।

परिवादिनी ने अपने परिवाद पत्र में किये गये कथनों का समर्थन करते हुए अपने बयान अंतर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 में कहा है कि ''घटना दिनांक 25.12.2021 को सायं 05.00 बजे विपक्षीगण महेन्द्र, विपुल मौर्या एवं सिपुल मौर्या पुराने झगड़े को लेकर घर में घुसकर मारने पीटने लगे एवं गाली दी थी एवं कहा कि धोबिन तुमको छोड़ेंगे नहीं। विपुल मौर्या मेरी छाती पर तेजी से दबा दिया एवं बलात्कार की कोशिश की। साधना मौर्या ने बचाया तब तक विपुल मौर्या मेरा मंगलसूत्र छीनकर भाग गया।''

परिवादिनी की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–1 साधना मौर्या द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 में कथन किया है कि ''मैं सोनी को जानती हूॅ। मैं दयाल फार्म, देवा रोड, चिनहट में पहले रहती थी। इसलिए सोनी को जानती हूॅ। सोनी के साथ 25.12.2021 को शाम को लगभग पांच–साढे पांच बजे घटना हुई थी। देवा मार्म में मैं नीचे रहती थी वो उपर रहती थी। कालोनी बनी है। सोनी के साथ महेन्द्र, सिपूल व विपुल मारपीट कर रहे थे। मैं अपने कमरे में नीचे थे। मारपीट के दौरान सोनी चिल्ला रही थी। मैं दौड़कर उसके पास गयी। मैंने देखा कि उपरोक्त लोग सोनी को लात घूसे व डण्डे से मार रहे थे। मारपीट के दौरान सोनी के कपड़े फट गये थे। मैंने सोनी को अपने दुपट्टे से दोड़कर ढाक लिया था। उसके बाद उपरोक्त लोग सोनी का मंगल सूत्र छीन कर (विपुल ने छीना था) व विपुल ने ही सोनी के सीने को दबाकर सोनी को गाली देते हुए कह रहे थे कि धोबी की जात मैं तुझको सबक सिखा कर ही रहूंगा। जान माल की धमकी देते हुए उपपरोक्त लोग मौके से चले गये थे। उपरोक्त लोग मेरे ही मोहल्ले के हैं। मैं उनको जानती पहचानती हूॅ।''इस साक्षी ने परिवादी के कथन का अपने बयान से समर्थन किया है।

परिवादिनी द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में बलरामपुर अस्तपाल में इलाज से संबंधित पर्चों की मूल प्रति, थाना चिनहट व पुलिस आयुक्त, लखनऊ को प्रेषित पत्र की छायाप्रतियां, आधार कार्ड की छायाप्रति व जाति प्रमाण पत्र छायाप्रति संलग्न की गयी है।

इस प्रकार उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण महेन्द्र कुमार मौर्या व सिपुल मौर्या धारा 323/34, 452, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)द, ध, 3(2)5ए एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट एवं अभियुक्त विपुल मौर्या धारा 323/34, 452, 354, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)द, ध,

3(2)5ए एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के तहत अपराध प्रथम दृष्टया गठित होता है। तद्नुसार उन्हें विचारण हेतु उपरोक्त अपराध में तलब किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण अभियुक्तगण महेन्द्र कुमार मौर्या व सिपुल मौर्या धारा 323/34, 452, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)द, ध, 3(2)5ए एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट एवं अभियुक्त विपुल मौर्या धारा 323/34, 452, 354, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)द, ध, 3(2)5ए एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट, के अधीन विचारण हेतु तलब किया जाये। परिवादिनी धारा 204 दं0प्र0सं0 के तहत अपेक्षित पैरवी करे।

पत्रावली दिनांक 06.03.2025 को पेश हो।

पत्रावली नियत तिथि को अभियुक्त की उपस्थिति हेतु पेश हो।

विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट
लखनऊ।